COPY OF APPROVALS & COMMENCEMENT CERTIFICATE FROM YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्पलेक्स, सैक्टर–ओमेगा, पी–2, ग्रेटर नोएडा सिटी– 201308

पत्रांक–य.ए./नि/Plg/BP-67/2017
दिनांक 01/05/2017

सेवा में,

मैसर्स गौरसन्स रियलटेक प्रा0 लि0
डी–28, विवके विहार,
दिल्ली 110095

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक– 18/04/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या सी–15 पॉकेट–3 सैक्टर–19, यमुना एक्सप्रेसवे पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जा रही है–

1. यह मानचित्र दिनांक–30/03/2022 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृती स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों अथवा अन्य कोई शुल्क मॉगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के आपके द्वारा देय होगा।
6. दरवाजे व खिड़कियॉं इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरूद्ध नही होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉंच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेस्वे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुरूप ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
9. आवंटी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही सभी तलों का निर्माण किया जाएगा।
10. सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई रैम्प अथवा स्टैप्स नही बनाये जायेंगे।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र दिनांक–30/03/2022 की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा प्राप्त लिए भवन को प्रयोग में नही लाया जायेगा।
15. रैन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।

16. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. सी–15, पॉकेट–3, सैक्टर 19 की सभी सर्विस का लेवल पूर्व में पॉकेट 3 सैक्टर–19 हेतु स्थापित सर्विस के अनुसार रखा जाएगा,
19. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient momunents, Archaeological sites and remains (Amondment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. पॉकेट 03, सैक्टर–19 के भू–विन्यास मानचित्र हेतु स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
21. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
22. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
23. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
24. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
25. एन०जी०टी० एवं ई.पी.सी.ए. द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक– स्वीकृत मानचित्रों की प्रति।

(सीना भार्गव)
महाप्रबन्धक–नियोजन

प्रतिलिपि–
1. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक–नियोजन